

शर्यहाश दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-28 अंक-15

7 से 21 अगस्त, 2013

मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती

मूल्य : 2 रुपये

दिल्ली सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एस.यू.सी.आई.(सी) का विरोध प्रदर्शन



आई.टी.ओ. चौक पर प्रदर्शन करते हुए एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के कार्यकर्ता

नई दिल्ली : आम आदमी को बुरी तरह प्रभावित करने वाली तथा उनके जीवन को बदहाली और कंगाली में धकेलने वाली दिल्ली सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एस.यू.सी.आई.(सी) द्वारा 24

जुलाई को यहाँ आई.टी.ओ. चौक पर प्रदर्शन किया गया। एस.यू.सी.आई.(सी) दिल्ली राज्य सांगठनिक कमिटी के बैनर तले दिल्ली के विभिन्न इलाकों तथा तबकों से आए सैकड़ों प्रदर्शनकारी हाथों में मांग

पट्टिकाएं, बैनर तथा झण्डे लिए आई.टी.ओ. से दिल्ली सचिवालय की ओर बढ़े तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें आगे जाने से रोक दिया। वहीं पर एस.यू.सी.आई.(सी) दिल्ली राज्य सचिव सहित पार्टी व जन संगठनों के नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित किया।

वक्ताओं ने कहा कि हर तरह के शोषण, दमन, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा और इसके खिलाफ लड़ने की चाह है जिसकी जीती जागती मिसाल है भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन और 16 दिसम्बर की घटना के बाद दिल्ली के लोगों का अभूतपूर्व रोष प्रदर्शन। सही क्रांतिकारी नेतृत्व और दिशा के अभाव में लोगों का यह गुस्सा दीर्घस्थायी जनवादी जन आन्दोलन की शक्ल अखिल्यार नहीं कर पा रहा है। तमाम चुनावी पार्टियाँ ऐसे सभी आन्दोलनों को वोट की राजनीति की अंधी गली में धकेलने के लिए प्रयासरत रहती हैं जिससे लोगों में हताशा-निराशा घर करती जा रही है। उन्होंने कहा कि केवल एस.यू.सी.आई.(सी) ही देशभर में पूँजीवादी-साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण की नीतियों के खिलाफ आन्दोलन गठित कर रही है। सिंगूर और नंदीग्राम के जनआन्दोलनों को एस.यू.सी.आई.(सी) ने ही सफलता के मुकाम तक पहुँचाया था। केन्द्र व राज्य सरकारों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनवादी जन आन्दोलन विकसित करके ही इस पूँजीवादी शोषण-दमन से उत्पीड़ित जनता कुछ राहत हासिल कर सकती है। (शेष पृष्ठ 2 पर)

8वीं कक्षा तक पास-फेल खत्म किये जाने, फीस वृद्धि, शिक्षा के व्यापारीकरण, यौन शिक्षा लागू किये जाने आदि शिक्षा-विरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर में एआईडीएसओ ने मनाया प्रतिवाद दिवस

8वीं कक्षा तक पास-फेल पद्धति खत्म किये जाने, बेतहाशा फीस वृद्धि, शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण, यौन शिक्षा लागू किये जाने आदि शिक्षा-विरोधी नीतियों के खिलाफ ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) की अखिल भारतीय कमिटी के आह्वान पर 25 जुलाई को देश भर में छात्रों ने प्रतिवाद दिवस मनाया।

दिल्ली में संसद पर प्रदर्शन व पुतला दहन

एआईडीएसओ की दिल्ली राज्य कमिटी ने भी संसद पर प्रदर्शन किया। विभिन्न स्कूल-कॉलेजों से आये प्रदर्शनकारी छात्र सुबह जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए। उन्होंने तमाम शिक्षा-विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, नारे लगाये और मानव संसाधन विकास मंत्री का पुतला फूँका। प्रदर्शनस्थल पर आयोजित सभा को विभिन्न छात्र नेताओं ने सम्बोधित किया। जिनमें संगठन के दिल्ली राज्य अध्यक्ष भास्करानन्द, सचिव प्रशांत कुमार, जाकिर हुसैन कॉलेज से मो. आसिफ व श्रीराम, दिल्ली विश्वविद्यालय से रवि कुमार, खालसा कॉलेज से मौसम कुमारी शामिल थे। सभा का संचालन एआईडीएसओ के कार्यालय सचिव राहुल कुमार ने किया। (शेष पृष्ठ 2 पर)



दिल्ली सरकार की..

(पृष्ठ 1 का शेष)



सभा को संबोधित करते हुए डॉ. प्रताप सामल

दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड प्रताप सामल ने कहा कि दिल्ली सरकार पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निजीकरण की नीति को लागू कर रही है। यह खुदरा व्यापार को सीधे विदेशी पूँजीनिवेश के लिए खोल रही है जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे। रसोई गैस से सब्सिडी समाप्त कर रही है। जीवनदायी प्राकृतिक संसाधन, पानी के निजीकरण पर आमादा है। इसके शोधन, वितरण और बिलिंग को निजी हाथों में सौंप रही है जिसका आम आदमी के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली के स्कूलों में आठवीं तक 'बेरोकटोक पास करने' की नीति लागू कर रही है। शिक्षा के अधिकार कानून की आड़ में इसका असल मकसद है आम आदमी को शिक्षा के उनके अधिकार से ही वंचित

कर देना। नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो द्वारा जारी आँकड़ों से पता चलता है कि सरकार दिल्ली में महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों को सुरक्षा मुद्दा बनाने में पूरी तरह नाकाम रही है। कॉमरेड प्रताप सामल ने दिल्ली के लोगों से आह्वान किया कि वे एस.यू.सी.आई.(सी) के नेतृत्व में जन कमेटियाँ स्थापित करके एक दीर्घ स्थाई आन्दोलन विकसित करने के लिए एकजुट हों ताकि शासक वर्ग के आक्रमणों को रोका जा सके और ये जनविरोधी नीतियाँ वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर किया जा सके।

बाद में दिल्ली राज्य सांगठनिक कमिटी के सदस्य श्री मैनेजर चौरसिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने माननीय मुख्यमंत्री को माँगों का एक ज्ञापन दिया।

देश भर में एआईडीएसओ..

(पृष्ठ 1 का शेष)

वक्ताओं ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारें शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण की नीति लागू करते हुए एक पर एक शिक्षा-विरोधी कदम उठा रही हैं। इस तरह वे पूरे शिक्षा क्षेत्र को मुनाफा कमाने के क्षेत्र में तब्दील कर रही हैं। इसी का नतीजा है बेतहाशा फीस वृद्धि। एक तरफ सरकारी शिक्षण संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं में कटौती करके और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति अस्थायी रूप से करके शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है। हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूल में जहर मिला मिड डे मील खाकर 27 बच्चों की मौत की दिल दहला देने वाली घटना साफ जाहिर है कि सरकार और प्रशासन के लापरवाह रवैये का नतीजा है। वहीं दूसरी तरफ 'उत्कृष्टता' के नाम पर कुछ एक कुलीन और अत्यधिक महंगे शिक्षण संस्थानों को हर तरह की सुविधाएँ मुहैया करवा करके शिक्षा अमीरों का विशेषाधिकार बनायी जा रही है। उन्होंने सरकार द्वारा लागू किये गये 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009' के तहत 8वीं कक्षा तक बेरोकटोक पास करने की नीति का भी जोरदार विरोध किया। इस नीति से छात्र-छात्राओं में शिक्षा के प्रति गंभीरता खत्म होती जा रही है और प्राइमरी शिक्षा की नींव कमजोर होती जा रही है। वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा एक तरफ तो मौलिक विज्ञान, मानविकी, भाषा और साहित्य जैसे विषयों को पढ़ने से छात्रों को निस्वस्थित किया जा रहा है और दूसरी तरफ बाजारोन्मुख व यौन शिक्षा जैसे विषयों की पढ़ाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वक्ताओं ने छात्र समुदाय से सरकार की इन छात्र-विरोधी नीतियों के खिलाफ आगे आने और जोरदार जनवादी आन्दोलन गठित करने का आह्वान किया।

सभा के अंत में संगठन के एक प्रतिनिधिमण्डल द्वारा प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा गया।

कटक में छात्र प्रदर्शन

विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं के खिलाफ अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस पर 25 जुलाई को ऑल इण्डिया डीएसओ, कटक जिला कमिटी द्वारा कटक जिला कलैक्टर के कार्यालय पर एक जिला स्तरीय छात्र प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनस्थल पर ऑल इण्डिया डीएसओ, ओडिशा राज्य सचिवमण्डल सदस्य बाबी बलवंतराय की अध्यक्षता में एक सभा हुई। ऑल इण्डिया डीएसओ, कटक जिला कमिटी उपाध्यक्ष रेखा दंडपत और सचिव भाग्यरवि दास के अलावा तरुणा सेन नायक, विनोद सेठी, इशा धर, अभिराम बेहरा और रेवेन्सा युनिवर्सिटी सहित 8 कॉलेजों के छात्र नेताओं ने सभा को संबोधित किया। जिला कलैक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम दिया गया।

ज्ञापन में मांग की गई कि निम्न स्तर का मिड डे मील परोसने के दोषी अधिकारियों और व्यक्तियों को सख्त सजा दी जाए और मिड डे मील प्रबंधन निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया बंद की जाए। पास प्रतिशत कम होने और छात्र संख्या घटने का बहाना बना कर 5503 स्कूलों को बंद करने का फैसला वापस लिया जाए। आर्टीई एक्ट में संशोधन के लिए मानव संसाधन (शेष पृष्ठ 6 पर)



25 जुलाई को जमशेदपुर में डी सी कार्यालय पर रोष प्रदर्शन करते हुए एआईडीएसओ कार्यकर्ता



25 जुलाई को भोपाल में रोष प्रदर्शन करते हुए एआईडीएसओ कार्यकर्ता



25 जुलाई को कटक में जिला कलैक्टर कार्यालय पर रोष प्रदर्शन करते हुए एआईडीएसओ कार्यकर्ता

महिलाओं पर बढ़ते अपराधों व अत्याचारों के खिलाफ महिला सम्मेलन



भिवानी में आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधि और मंच पर (बायें से) श्रीमती मीनाक्षी, मिन्टू बाला, डा. मनोज भारत, छाया मुखर्जी, माया शर्मा व बिमला देवी

भिवानी (हरियाणा) : महिलाओं पर बढ़ते अपराधों व अत्याचारों के खिलाफ 28 जुलाई, 2013 को आर्य कन्या विद्यालय, भिवानी में ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की भिवानी जिला कमेटी और से एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता एआईएमएसएस की जिला सचिव बिमला देवी ने की। इसमें मुख्य वक्ता एआईएमएसएस की अखिल भारतीय अध्यक्ष छाया मुखर्जी थीं। सम्मेलन में संगठन की जिला प्रधान मिन्टू बाला ने मंच संचालन किया।

मुख्य वक्ता छाया मुखर्जी ने कहा कि इस 21वीं सदी में महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं और समाज के बुनियादी सांस्कृतिक उत्थान के लिए राजनैतिक कानूनी उपायों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर का एक जोरदार सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन गठित करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आजादी ताहफे में नहीं मिलेगी, बल्कि यह खुद उन्हें लड़कर हासिल करनी होगी। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध मानवजाति के लिए अभिशाप हैं। 2-3 वर्ष की बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक बलात्कार व क्रूरता की शिकार होती हैं। इन कुकृत्यों से समाज का सिर शर्म से झुक जाता है। लोग बेहद दुःखी हैं, चिन्तित हैं। ऐसा लगता है मानो अब देश में इन्सानों की संख्या घटती जा रही है और शैतानों की, बदमाशों की, जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार भारत के बारे में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का द्विद्वारा पीटती है, पर महिलाओं की तकलीफों को दूर करने की उसे जरा भी चिंता नहीं है। भारत में सरकार और कानून लागू करने वाली एजेंसियां महिलाओं की इज्जत-आबरू की रक्षा करने और अपराधियों को पकड़ने और सजा देने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। भ्रष्ट पुलिस ज्यादातर मामलों में अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, यहाँ तक कि दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करने से भी इन्कार कर देती है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद भी बहुत कम दोषियों को सजा हो पाती है। किसी ऐतिहासिक युग के सामाजिक विकास के स्तर को आजादी की ओर महिलाओं की प्रगति के आधार पर ही मापा जा सकता है। इस कसौटी के आधार पर हम यह कहने को विवश हैं कि महिलाओं के प्रति मध्ययुगीन रवैये से भी पिछड़ा हुआ रवैया अपनाया जा रहा है। आज भी यह सामंती दृष्टिकोण और सोच व्याप्त है कि महिलाएं अबला हैं और पुरुषों से कमतर हैं और इसीलिए उन्हें पुरुषों की मातहत रहना चाहिए। इस सोच को बजाय लोकतांत्रिक सोच अपनाने की जरूरत है। कानूनी रास्तों के साथ ही साथ महिलाओं को आंदोलन भी गठित करने होंगे ताकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहले से मौजूद कानूनों को सख्ती से लागू करने और साथ ही साथ कानून में अपराधियों के बच निकलने के मौजूदा चोर दरवाजे बंद करने के लिए प्रशासन को मजबूर कर सकें। चूँकि न्याय में देर, न्याय देने से इन्कार के तुल्य है इसीलिए इन मामलों में त्वरित अभियोजन, तहकीकात व सजा की निश्चितता पर भी बल देना होगा। हालांकि ये उपाय महिलाओं के खिलाफ अपराधों व अत्याचारों को पूरी तरह मिटा नहीं सकते फिर भी ये उन पर काफी हद तक अंकुश लगायेंगे। यह सांस्कृतिक अधःपतन, नीति-नैतिकता

की गिरावट, दुराचार, विवेकहीनता, भ्रष्टाचार, अनैतिक जीवन यापन, दूषित विचार, पैसे के लिए अंधी दौड़, पाश्चिक प्रवृत्तियाँ—ये सभी आज सड़ी-गली बुजुर्ग सभ्यता की निशानी हैं। ये पूँजीवाद की ही देन है। इन बुराइयों को दूर करने के लिए कानूनी उपायों के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक ढाँचे के आमूल परिवर्तन हेतु उच्च नीति-नैतिकता के आधार पर सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन आज वक्त का तकाजा है।



आईएमएसएस की भिवानी जिला सचिव मिन्टू बाला ने कहा कि आज महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार व अपराध ने सारी हदें पार कर दी हैं। स्कूल हो या हस्पताल, घर हो या दफ्तर, हर जगह महिलाएं घोर असुरक्षित महसूस करती हैं। आर्ये दिन उनकी इज्जत-आबरू पर हमले हो रहे हैं। बलात्कार, छेड़छाड़, अपहरण, हत्या, दहेज-उत्पीड़न, दुल्हन-दहन, एसिड हमले, महिलाओं की खरोद-फरोख्त जैसे संगीन अपराध बढ़ रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या, इज्जत के नाम पर हत्याएं (ऑनर किलिंग), सेक्स टूरिज्म, कैशिनो, देह व्यापार और कार्य-स्थलों पर यौन-शोषण व उत्पीड़न जैसी समस्याएं भी गंभीर रूप लेती जा रही हैं। यह सभी विवेकशील व्यक्तियों के लिए आज गहरी चिन्ता का विषय है। इन अपराधों व अत्याचारों की रोकथाम करने और दोषियों को कड़ी सजा देने की बजाय सरकार एक तरफ तो इस मामले में संवेदनहीन और उदासीन बनी हुई है और दूसरी तरफ सांस्कृतिक माहौल को और भी बिगाड़ कर सभ्य समाज को गर्त में धकेलने और छात्रों-नौजवानों की नैतिक रीढ़ को तोड़ डालने के लिए टीवी, पत्र-पत्रिकाओं, फिल्मों व सौंदर्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से अश्लीलता प्रसार रही है। नारी देह को उपभोग की वस्तु की तरह दर्शाया जा रहा है। राजस्व बढ़ाने के नाम पर ज्यादा से ज्यादा शराब के ठेके खोल कर शराबखोरी व नशाखोरी को बढ़ावा दे रही है। स्कूल स्तर पर यौन शिक्षा लागू कर रही है। कच्चे किशोर मन पर इन सब का बहुत खराब असर पड़ता है। इससे अपराधों को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार व अपराधों, शोषण-उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं से जागृत

व संगठित होने का आह्वान किया और दिल्ली के 'दामिनी' सामूहिक बलात्कार कांड की बरसी पर आगामी 16 दिसम्बर को संसद पर अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन में सभी महिलाओं से शामिल होने की अपील की।

महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों व अपराधों की रोकथाम करने, अपराधियों को उदाहरणमूलक सख्त सजा देने, महिलाओं के खिलाफ अपराध की शीघ्रता से एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने, बलात्कार के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाये जाने, ठोस कार्यवाही करने में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित करने, जुआबाजी, शराबखोरी व नशाखोरी पर सख्ती से रोक लगाने तथा शराब बिक्री को बढ़ावा देना बन्द करने, प्रचार माध्यमों व फिल्मों में नारी देह की अश्लील नुमाइश व हर प्रकार की अश्लीलता पर कारगर रोक लगाने और जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की सम्मेलन में माँग की गई।

सभा को माया शर्मा, मीनाक्षी और डॉ. मनोज भारत ने भी सम्बोधित किया।

सम्मेलन में 13 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन किया गया जिसमें बिमला देवी को जिला अध्यक्ष, माया देवी व शारदा को उपाध्यक्ष, मिन्टू बाला को जिला सचिव, पुनम व मीनाक्षी को सहसचिव और बीरमती को कोषाध्यक्ष चुना गया।

तेजाबी हमले के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत

एआईएमएसएस की महासचिव डा. एच.जी. जयलक्ष्मी ने 21 जुलाई को जारी एक प्रेस बयान में कहा :

“एआईएमएसएस की अखिल भारतीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दिये गये दिशा निर्देशों का स्वागत करती है जिनमें तेजाबी हमले को गैर जमानती अपराध बनाने, तेजाब की खुली बिक्री पर रोक लगाने और 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तेजाब न बेचने तथा तेजाबी हमले की शिकार को 3 लाख रुपये सुआवजा देने जिसमें से 1 लाख रुपये घटना के 15 दिन के अन्दर और बाकी रकम दो महीने के अन्दर देने की बात कही गई है।

कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति तेजाब बेचते हैं उन्हें बिक्री का उचित रिकार्ड रखना होगा और सम्बन्धित अधिकारियों के प्रति जवाबदेह होंगे। यह भी कहा गया है कि 'सभी संस्थानों को तेजाब के इस्तेमाल का रजिस्टर रखना होगा और उसे सम्बन्धित स्थानीय पुलिस और सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा तेजाब रखने और सम्भालने के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनाना होगा।' कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेगा उसे 50,000 रुपये बतौर जुर्माना देना होगा। सम्बन्धित एसडीएम की यह जिम्मेदारी होगी कि किसी भी अवहेलना/कोताही/उल्लंघन के लिए जुर्माना लाया। खण्डपीठ ने कहा है कि इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर विष अधिनियम 1919 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

एआईएमएसएस का मानना है कि ऐसे दिशा निर्देश निश्चित ही महिलाओं पर तेजाब फेंकने की घटनाओं को रोकने की दिशा में एक कदम है। लेकिन निसंदेह इन तमाम कानूनी प्रावधानों को सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन के साथ समन्वित करना होगा जो हमारे देश में महिलाओं द्वारा भुगती जा रही ऐसी बहुत सी समस्याओं के समाधान के लिए निहायत जरूरी है।”

चुनाव की प्रक्रिया में लोकतंत्र

सुप्रीम कोर्ट की राय के प्रसंग में

अंततः एक असाधारण(!) ज्ञानोदय करने वाला समाचार प्रकाशित हुआ है। आजादी के 66 साल बाद इस देश की सबसे बड़ी अदालत को समझ में आया है कि इस 'विशाल लोकतांत्रिक देश' में चुनाव के दौरान बेशुमार वायदों की झड़ी लगा दी जाती है और वोटों को लुभाने के लिए प्रलोभन दिये जाते हैं। उनका यह भी मानना है कि इस हीन स्थिति में राजनैतिक पार्टी और उम्मीदवार के गुण-दोष का विचार करके आम लोगों के सही-सही वोट देने की प्रक्रिया ही क्षतिग्रस्त और बाधित होती है। अतः यह साफ-सुथरे चुनाव कराने के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है। (एई समय 6/7/13)

तमिलनाडू के चुनावी संग्राम में बेशुमार उपहार दिये जाने के खिलाफ एक वकील द्वारा दायर किये गये मुकदमे का फैसला सुनाते हुए 5 जुलाई को न्यायाधीश पी सदाशिवम व न्यायाधीश रंजन गर्ग की खण्डपीठ ने कहा कि 'कानून चाहे जो कुछ भी क्यों न हो, वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता है। घोषणापत्रों में इस तरह के वायदे निर्बाध चुनावों की जड़ों पर ही कुठाराघात करते हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बताया है कि सरकारी गद्दी दखल करने की लालसा में चुनावों में झूठे वायदे करने और प्रलोभन देने की होड़ लगी हुई है और ऐसी परिस्थिति तैयार होने से छोटी-छोटी पार्टियाँ इस होड़ में पिछड़ जाती हैं। इसके नतीजतन राजनैतिक और सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। इन सब कटु वास्तविकताओं को अस्वीकार न करके भी सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि मौजूदा कानून के मुताबिक चुनावों से पहले किये गये वायदों को घूस देने के समरूप नहीं कहा जा सकता है। इसलिए चुनावों से पहले जो घोषणा पत्र राजनैतिक पार्टियाँ प्रकाशित करती हैं उसे आचार संहिता के दायरे में लाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को नई नियमावली बनाने के निर्देश दिये हैं। हालाँकि अदालत साथ ही साथ यह भी कह रही है कि कोई भी राजनैतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में क्या कहे और क्या न कहे, यह अदालत का विचारणीय विषय नहीं हो सकता है। फिर भी अदालत का मानना है कि इस बारे में एक 'गाइड लाइन' रहनी चाहिए।

अदालत का यह निर्देश, चुनाव आयोग का वक्तव्य संदेहातीत रूप से दिखा देता है कि इस देश में किस तरह बहुत से शब्दाडम्बरों की आड़ में लोकतंत्र की धीरे-धीरे कब्र खोदी जा रही है। जो यह बात कह रहे हैं उनका मकसद मान लिया कि निश्चित ही नेक है—उनके वक्तव्य बहुत हद तक सही हैं, उनके कहे मुताबिक 'वास्तविक' हैं, तब भी तो इतने दिनों से घट रही असंख्य घटनाओं के बाद देश के महामान्य कर्ताधर्ताओं का यह विलम्बित 'ज्ञानोदय करने वाला' (!) समाचार देख-सुन कर क्या आश्चर्य नहीं होगा?

सचमुच में ही क्या यह सब उनके संज्ञान में नहीं था? घोषणा पत्र में वायदों की बात तो अलग रही, चुनावों से पहले साइकिल से लेकर लेपटाप, कलर टी वी, मंगलसूत्र के नाम पर सोना देना, यहाँ तक कि नकद रुपया देने की घटनाओं पर तो कोई रोकटोक नहीं रही। यह क्या केवल फिलहाल की परिघटना है? आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के समय से ही कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम सहित तमाम क्षमतावान पाटियाँ क्या चुनाव में प्रलोभन देकर वोटों को लुभाने की कोशिश नहीं करती हैं? इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का गढ़ बताते हुए शब्दाडम्बर की आड़ में इस तरह की शर्मनाक घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इनके प्रतिकार का कोई भी कारगर कदम किसी भी तरफ से नहीं उठाया गया है। 2005 में तमिलनाडु में करूणानिधि की पार्टी ने डेढ़ करोड़ वोटों को कलर टी वी बांटे थे। यह क्या देश के कर्ताधर्ताओं को नजर नहीं आया? इस बात को समझना क्या कोई मुश्किल था कि खुल्लमखुल्ला नकद रुपया देकर वोट खरीदने की घटना जिसने इससे पहले ही चुनावों की तमाम प्रक्रिया को ही एक दुखद ढकोसला बना कर रख दिया है?

जनमत की कदर करने, लोगों के लोकतांत्रिक

अधिकार को मर्यादा देने का न्यूनतम लोकतांत्रिक मूल्यबोध भी बहुत दिनों पहले से ही देश की चुनावी प्रक्रिया से लगभग लुप्त हो गया है। यह सच तो खुली किताब की तरह साफ जाहिर है कि देश के करोड़ों करोड़ नितांत गरीब लोगों की गरीबी, दुर्गति, लाचारी और मजबूरी का फायदा उठा कर बड़ी-बड़ी सत्ताधारी पार्टियाँ या बड़ी-बड़ी विपक्षी पार्टियाँ चुनाव का मैदान मार लेती हैं। वे जनमत की जरा भी परवाह नहीं करती हैं। वे जनमत की कोई कदर नहीं करती हैं। जनमत को ये पार्टियाँ खरीदती हैं। कागज के करारे नोट देकर, प्रलोभन देकर ये लोगों के वोट खरीदती हैं। कहती हैं, 'नोट लो, वोट दो'। यानी चुनाव भी एक बाजार हो गया है जहाँ लेनदेन चलता है। वोट खरीद कर सत्तासीन होने वाले इन बड़ी-बड़ी पार्टियों के नेता-मंत्री पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के नियम से ही मुनाफा लूटने के खेल में लगे हुए हैं। करोड़ों करोड़ लोगों का खून चूस कर बनाये गये सरकारी खजाने का पैसा फिजूलखर्ची में पानी की तरह बहाया जाता है, बेहद भ्रष्टाचार मचाया जाता है। सत्ता का फायदा उठा कर ये नेता-मंत्री जीवनयापन की असहनीय पीड़ा से परेशान लोगों के कंधों पर करों का बोझ लाद कर पूँजीपतियों को मुनाफा लूटने का भरपूर मौका देते हैं।

अपने खुद के स्वार्थ में पूँजीपति भी बदले में इन पार्टियों पर आशियाँ दे कर बौझार कर देते हैं। वे इन्हें मोटा चंदा देते हैं। यह समाचार बार-बार सामने आया है कि किस तरह कारखानेदार विभिन्न पार्टियों को हजारों करोड़ रुपये का 'चंदा' देते हैं। एडीआर (एसोसियेशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म) द्वारा प्रकट किये गये तथ्यों से पता चलता है कि कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम सहित सत्ताधारी पार्टियाँ अपने 80 प्रतिशत फण्ड के आय के स्रोत को छिपा कर रखती हैं। 2004 से 20011 के दरम्यान कांग्रेस को 2008 करोड़ रुपये, बीजेपी को 994 करोड़ रुपये और सीपीएम को 417 करोड़ रुपये मिले हैं। (टाइम्स ऑफ इण्डिया 23-9-12) सीपीएम के केन्द्रीय नेतृत्व को तरफ से पेश किये गये आमदनी-खर्च के ब्यौरे में भी देखा जा रहा है कि वे पूँजीपतियों से लाखों लाख रुपया पाते हैं। (एई समय 21-7-13) बड़ी-बड़ी और सत्ताधारी पार्टियों के साथ पूँजीपति वर्ग का यह लेनदेन क्या पूँजीपति वर्ग के स्वार्थ रक्षकों की जानकारी में नहीं है? इन सब मान्यताप्राप्त पार्टियों से बातचीत करके चुनावी नियम-कानून बनाने से क्या भारत के आम आदमी के हितों की रक्षा की जा सकती है? जनतंत्र का मूल्य चुकाया जा सकता है? सत्तासीन होने की बेसन्नी में इन सब मान्यताप्राप्त पार्टियों के बीच चल रही चुनावों में प्रलोभन देने की होड़ क्या बंद की जा सकती है? यह कदापि सम्भव नहीं है। लेकिन सत्ताधारी पार्टियाँ या सत्ता हासिल कर लेने की सम्भावना जिन पार्टियों की है वे इसकी स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहती जा रही हैं कि यही सही रास्ता है।

पश्चिम बंगाल की सरकारी गद्दी पर फिलहाल बैठी हुई तुणमूल कांग्रेस के मंत्री सुब्रतो मुखोपाध्याय से लेकर सीपीएम की केन्द्रीय कमिटी सदस्य मोहम्मद सलीम तक भी लगभग एक ही स्वर में कह रहे हैं कि यह फैसला शिरोधार्य है। मानो यह फैसला भारतीय लोकतंत्र को वास्तविकता के धरातल पर कायम करने में मददगार हो। निस्पंदेह कांग्रेस, बीजेपी सहित बाकी सब भी यही बात कहेंगे।

केवल इतना ही नहीं कि जनमत को वायदों का झुनझुना थमा कर, प्रलोभन देकर या नकद रुपये देकर वोट खरीद कर चुनावी प्रक्रिया की जड़ों पर कुठाराघात किया जा रहा है, बल्कि जनमत को बड़ी चतुराई से बड़ी-बड़ी और सत्ताधारी पार्टियों के पक्ष में जुटाया जाता है। जनमत पर पूर्ण नियंत्रण कायम करने के लिए प्रचार माध्यमों को इस्तेमाल किया जा रहा है—चाहे वे समाचार पत्र हों या टी वी चैनल। वर्तमान युग में टैक्नोलॉजी के विभिन्न उपकरणों के चलते संवाद

माध्यम बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं। लेकिन इन प्रचार माध्यमों को नियंत्रित कौन करता है? क्या शासक पूँजीपति वर्ग नहीं करता है? सुनियोजित प्रचार के जरिये ये प्रचार माध्यम किसी के पक्ष-विपक्ष में जो हवा बनाते हैं, जो तूफान पैदा करते हैं, उससे जनमत बहुत दूर तक प्रभावित होता है। यह सब निष्पक्षता के आवरण में किया जाता है।

1977 के लोकसभा चुनाव के समय से ही देश का पूँजीपति वर्ग दो दलीय शासन प्रणाली लागू करने के लिए कटिबद्ध हो चुका है। मार्क्सवाद-लेनिनवाद-कॉमरेड शिवदास घोष चिंतनधारा और शिक्षाओं के आधार पर हमारी पार्टी यह बात बार-बार कह रही है कि इस देश की शोषित-पीड़ित जनता को शोषण-उत्पीड़न, जुर्मों सितम के खिलाफ आन्दोलन के रास्ते से दूर हटायें रखने के लिए पूँजीपति वर्ग उन्हें शटल कॉक की तरह कभी इस पार्टी या गठबंधन के पीछे और कभी दूसरी पार्टी या गठबंधन के पीछे जुटाने की तरकीब अपना रहा है। स्वाभाविक है कि पूँजीपतियों की ताबेदार पार्टी या गठबंधन के पक्ष में ही जनमत को प्रभावित करने के मामले में प्रचार माध्यमों को वे इस्तेमाल करते हैं और प्रभावित करते हैं। इसी उद्देश्य से कृत्रिम ढंग से वे एक विचित्र ध्रुवीकरण पैदा कर देते हैं। ध्रुवीकरण केन्द्रीय स्तर पर जिस तरह पैदा किया जाता है उसी तरह राज्य स्तर पर भी पूँजीपति वर्ग की स्वार्थरक्षक क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर यह ध्रुवीकरण किया जाता है।

इस संबंध में 1977 के लोकसभा चुनाव के इतिहास को याद किया जा सकता है। इमरजेंसी के बाद हुए इस चुनाव में इंदिरा गांधी-विरोधी प्रचण्ड विश्वोभ को प्रचार माध्यमों ने रातों रात गठित की गई 'जनता' पार्टी के पक्ष में एक जबरदस्त आंधी में तब्दील कर दिया था। यही प्रचार माध्यम मात्र 48 घण्टे में इस आंधी को पूरे देश भर में जबरदस्त रूप से फैलाने में कामयाब हुए थे। कुछ ही सालों बाद उसी आंधी की दिशा बदल कर 1980 में फिर से इंदिरा गांधी को सत्ता में बैठा दिया था। संवाद और प्रचार माध्यमों की इस भूमिका को नकारने का आज और कोई उपाय नहीं है। इनके द्वारा जनमत को मूलतः दो भागों में बांट कर या तो कांग्रेस, नहीं तो बीजेपी, या तो कांग्रेसी गठबंधन, नहीं तो बीजेपी गठबंधन, राज्यों में या तो अमुक पार्टी या गठबंधन, नहीं तो तमुक पार्टी या गठबंधन की तरफ मोड़ने के लिए यह ध्रुवीकरण किया जाता है। कांग्रेस से विरक्त हो जाने पर बीजेपी की तरफ और बीजेपी से विरक्त हो जाने पर कांग्रेस की तरफ जनमत को मोड़ने के लिए बनापटी तौर पर यह ध्रुवीकरण किया जाता है। आये दिन, खास कर चुनाव से पहले टी वी चैनलों की पैन्ल चर्चाओं में गरमागरम बहसों, वाद-विवादों की तस्वीरें जनता के सामने इस तरह पेश की जाती हैं ताकि यह ध्रुवीकरण एक स्वाभाविक बात की तरह स्वीकार्य हो जाए। इनमें से जो भी पार्टी सत्ता में आये पूँजीपति वर्ग को उससे कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तो पूरा का पूरा आम लोगों का ही है।

इस ध्रुवीकरण के हो जाने से मौजूदा पूँजीवादी समाज में चुनावी प्रक्रिया में असल लोकतांत्रिक पद्धति जबरदस्त तौर पर बाधित हो रही है। मतदाताओं की वोट को प्रलोभन या वायदों द्वारा बड़ी-बड़ी और सत्ताधारी पार्टियाँ सिर्फ खरीदती ही नहीं हैं, बल्कि वे देश के शासक वर्ग के स्वार्थ में जनमत को तैयार भी करती हैं। यह क्या असल लोकतांत्रिक पद्धति है? अदालत या चुनाव आयोग के कर्ताधर्ताओं ने क्या इस विषय पर गहराई से विचार किया है? पत्रकारिता की नैतिकता, संवाद माध्यमों की असल आजादी की मांग भी इस तरह रौंदी जाती है। थोड़ा सा ध्यान देने से ही समझा जा सकता है कि इस देश में या राज्य में असल जनहित का कोई भी आन्दोलन या प्रतिवाद जो चाहे कोई भी पार्टी करे, उसका समाचार वे मूलतः प्रचारित नहीं करते हैं।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

शैक्षणिक समस्याओं के खिलाफ छात्र रैलियाँ



गुना (म.प्र.)। शैक्षणिक समस्याओं के खिलाफ ऑल इण्डिया डीएसओ द्वारा महान क्रान्तिकारी शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में जिला गुना, अशोकनगर व तहसील आरोन में छात्र रैलियों का आयोजन किया गया। गुना में 25 जुलाई को आरोन में 26 जुलाई को और अशोकनगर में 27 जुलाई को रैली हुई। रैलियों में विभिन्न स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राओं ने पूरे जोश खरोश के साथ भाग लिया। रैली के अंत में सभी स्थानीय कार्यालयों पर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष सचिन जैन ने सरकार की शिक्षा-विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार आन्दोलन गठित करने व चन्द्रशेखर आजाद सरीखे महान क्रान्तिकारी चरित्र से प्रेरणा लेते हुए देश भर में चल रही शिक्षा बचाओ मुहिम में शामिल होने का आह्वान किया। रैली को विभिन्न स्थानों पर एआईडीएसओ के जिला उपाध्यक्ष राजेश धाकड़, जिला सचिव मनीष श्रीवास्तव, सचिवमण्डल सदस्य बबीता समर, सावन बैरागी व सुमन किरार ने सम्बोधित किया।

कुम्भराज : गुना जिला की तहसील कुम्भराज में भी चन्द्रशेखर आजाद जयंती पर स्कूलों में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। 28 जुलाई को शिक्षा बचाओ सम्मेलन भी आयोजित किया गया। भोपण बारिश के बावजूद कार्यक्रम में छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन में मुख्य वक्ता संगठन के जिलाध्यक्ष सचिन जैन रहे। संचालन जिला कार्यकारिणी सदस्य उम्मेद सिंह गुर्जर ने किया। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया और शहीद चन्द्रशेखर आजाद के फोटो व उन पर रचित साहित्य भी वितरित किया गया।

मुंशी प्रेमचंद जयंती समारोह आयोजित

पटना। 31 जुलाई को महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का 133वां जयंती समारोह सैदपुर स्थित प्रेमचंद मूर्ति के समक्ष आयोजित हुआ। इसका आयोजन प्रेमचंद-शरत्चंद्र जयंती समारोह कमिटी व ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। समारोह की अध्यक्षता कमिटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रो. पूर्णन्द मुखर्जी ने की और संचालन प्रेमचंद-शरत्चंद्र जयंती समारोह कमिटी के वरिष्ठ सदस्य इन्द्रदेव राय ने किया।

जयंती समारोह को बिहार राज्य भाषा परिषद की प्रभारी निदेशिका मिथिलेश कुमारी मिश्र ने संबोधित करते हुए कहा कि उच्छ्रंखल हो रहे सामाजिक वातावरण में प्रेमचंद साहित्य की महत्ता और बढ़ गयी है और आज की मौजूदा परिस्थिति में खासकर स्कूली बच्चों के बीच प्रेमचंद साहित्य का प्रचार-प्रसार ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि प्रेमचंद साहित्य में नैतिकता, मानवीय मूल्य, नीति-नैतिकता व चरित्र से सम्पन्न पात्रों का ही ऊंचा स्थान है। पटना विश्वविद्यालय की इतिहास विभागाध्यक्ष प्रो. भारती एस कुमार, सतीश राज पुष्कर, मेहता नागेन्द्र, प्रो. संतोष कुमार, बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कृष्ण रंजन सिन्हा, एआईडीएसओ के राज्याध्यक्ष सूर्यकर जितेन्द्र, राज्य सचिव अनिल कुमार, जिला सचिव सरोज कुमार सुमन, प्रेमचंद-शरत्चंद्र जयंती समारोह कमिटी की कार्यकारिणी सदस्य साधना मिश्रा इत्यादि ने जयंती



समारोह को संबोधित करते हुए एक स्वर से प्रेमचंद को आजादी आंदोलन का महान मानवतावादी साहित्यकार बताया और पाठ्यक्रमों में उनके साहित्य को प्रमुखता के साथ शामिल करने पर जोर देते हुए अश्लीलता-गनना-उच्छ्रंखलता के खिलाफ अभियान की सफलता में प्रेमचंद साहित्य को मशाल के रूप में इस्तेमाल का उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया। समारोह में बापू स्मारक विद्यालय सहित अन्यान्य स्कूलों के सैकड़ों छात्र-छात्राएं मौजूद थे, जिनमें से निशा, रिनु, खुशबू, गुडिया, तृषा झा व शिमला मौर्या ने सामूहिक व एकल गीत प्रस्तुत किये।

अंत में अध्यक्षीय संबोधन में प्रो. पूर्णन्द मुखर्जी ने आज की दमघोंड़ सामाजिक परिस्थिति में प्रेमचंद साहित्य को बड़ा ही उपयोगी साहित्य बताया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रेमचंद की मूर्ति पर उपरोक्त अतिथियों के अलावा छात्र-छात्राओं द्वारा माल्यापण से हुई।

जमशेदपुर (झारखण्ड) : यहां 31 जुलाई को प्रेमचंद जयंती पर निबंध, प्रश्नोत्तरी, गाने व चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। इन प्रतियोगिताओं में लगभग 2500 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। जमशेदपुर में यह अब तक हुई प्रतियोगिताओं में सबसे बड़ी प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिताओं के आयोजक लोक सांस्कृतिक चेतना मंच के अध्यक्ष व सचिव नंदकुमार उनमान और सुमीत राय ने आम लोगों व विभिन्न स्कूल-कॉलेजों के शिक्षकों को इस बड़ी भारी सफलता के लिए धन्यवाद दिया।

एआईएमएसएस ने सरकार और प्रशासन से दोषी को दुष्टांतमूलक सजा देने, शराबखोरी व अश्लीलता को बढ़ावा देना बंद करने, पीड़िता को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने और पुलिस की चौकी व चौकसी बढ़ाने की मांग की। आन्दोलन के दबाव में पीड़िता का बेहतर इलाज सरकारी खर्च पर प्राइवेट हस्पताल में कराया गया, पुलिस कार्रवाई में तेजी आई, शहर में जगह-जगह छापेमारी की गई, दारू के कई अड्डे बंद हुए, मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाने और बेहतर पढ़ाई कराने व उच्च शिक्षा दिलाने का आश्वासन मिला।

ग्रामीणों पर पुलिस फायरिंग के खिलाफ मुख्यमंत्री का पुतला दहन



रांची : झारखण्ड राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित पगार गाँव (केरेडारी) में ग्रामीणों की जमीन पर जबरन एनटीपीसी कंपनी का साइट ऑफिस बनाये जाने का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोली चलाने और इस कारण दो ग्रामीणों की मौत और छः ग्रामीणों के घायल होने के विरोध में 25 जुलाई को राँची के फ़िरायलाल चौक में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) द्वारा झारखण्ड के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। यह कार्यक्रम झारखण्ड साझा जनसंघर्ष अभियान के बैनर तले किया गया। इसके घटक दलों में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के अलावा सीपीआई (एमएल), समाजवादी जनपरिषद एवं जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी शामिल हैं।

पुतला दहन के बाद कार्यक्रम एक संक्षिप्त सभा में तब्दील हो गया जिसमें नेताओं ने अपने वक्तव्य रखे। इस दौरान एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के झारखण्ड राज्य सचिव कॉमरेड रबिन समाजपति ने कहा कि हजारीबाग के पगार गाँव में एनटीपीसी का साइट ऑफिस बनाने हेतु अपनी जमीन जबरन छीने जाने का विरोध कर रहे निर्दोष ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की घटना अत्यंत निन्दनीय है। यह घटना इस बात की सबूत है कि सरकार और पुलिस-प्रशासन दोनों ही हर प्रकार से सिर्फ बड़े-बड़े पूँजीपतियों और कम्पनियों की ही दलाली कर रहे हैं। सरकार एक तरफ तो झारखण्ड की जनता की भलाई और राज्य के विकास के लिए अनगिनत योजनाएं शुरू करने की बात करती है और दूसरी तरफ कम्पनियों और पूँजीपतियों के हित में ग्रामीणों की जमीन बिना किसी मुआवजे के जबरन छीन कर उन्हें घर से बेघर और जमीन से बेदखल करने का काम कर रही है।

यह सरकार बनते ही हमने कहा था कि झारखण्ड में एक के बाद एक जो भी सरकार बनी उन सभी ने झारखण्ड की जनता के कल्याण की बात कह कर असल में बड़ी-बड़ी कम्पनियों और पूँजीपतियों की ही सेवा की और जनता पर दमन-उत्पीड़न, शोषण-जुल्म को और भी तीव्र किया है। हेमन्त सोरेन की यह सरकार भी यही काम करेगी। नई सरकार बनने पर हूबहू वैसा ही हो रहा है। जनता से एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने यह भी अपील की थी कि जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग व भ्रष्टाचार के जरिये सरकार बन रही है उससे जनहित की कोई उम्मीद न रख कर लोगों को जनकमेटियों का निर्माण करके अपनी खुद की ताकत के बलबूते जनजीवन के ज्वलंत सवाल को लेकर व्यापक जनआन्दोलन खड़ा करना होगा।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा की गई फायरिंग की जनविरोधी घटना की घोर निन्दा की गई। सरकार से मांग की गई कि ग्रामीणों की जमीन जबरन हथियाना फौरन बंद कर एनटीपीसी ऑफिस का निर्माण कार्य रोक दिया जाए, ग्रामीणों पर फायरिंग करने के दोषी पुलिसकर्मियों को अविलम्ब निलम्बित कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, एनटीपीसी के ठेकेदार के पुत्र को ग्रामीणों पर हमला करने के इल्जाम में फौरन हिरासत में लिया जाए, पुलिस हमले में मारे गये ग्रामीणों के परिवार को उचित मुआवजा देकर उन परिवारों के एक-एक सदस्य को एनटीपीसी में ही नौकरी दी जाए, हमले में घायल हुए ग्रामीणों के इलाज और मुआवजे का उचित इन्तजाम किया जाए।

बलात्कारी को सख्त सजा दो

सरायकेला-खरसवा जिले के आदित्यपुर क्षेत्र में गत 22 जुलाई को 3 साल की बच्ची से रणधोर और झा नाम के एक पड़ोसी ने कथित रूप से जबरन घर में घुस कर बलात्कार की घिनौनी घटना को अंजाम दिया। महिलाओं ने ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की अध्यक्ष मालती देवी व सचिव लिली दास ने इस वीभत्स कांड की कड़ी निन्दा करते हुए कहा कि इनका एक मुख्य कारण है प्रचार माध्यमों से फैलायी जा रही अश्लीलता और धडल्ले से बेची जा रही शराब।

देश भर में एआईडीएसओ ..

(पृष्ठ 2 का शेष)

विकास मंत्रालय की संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को तुरन्त लागू किया जाए और स्कूलों में 8वीं कक्षा तक पास-फेल प्रणाली फिर चालू की जाए। मीडिया, वेबसाइटों, फिल्मों आदि के जरिये अश्लीलता फैलाये जाने पर रोक लगाई जाए। छेड़छाड़-विरोधी कमेटियां गठित की जाएं और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देकर छात्राओं व महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सेमेस्टर, ट्राइसेस्टर, इन्टरनल असैसमेंट और इंटर डिस्प्लनरी कोर्स क्रेडिट सिस्टम वापस लिया जाए। फीस वृद्धि और शिक्षा में व्यापारीकरण, निजीकरण, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और सीधे विदेशी पूंजीनिवेश की नीति वापस ली जाए। शैक्षणिक संस्थानों में पर्याप्त संख्या में टीचिंग स्टाफ स्थाई तौर पर नियुक्त किया जाए। ऑन लाइन प्रक्रिया, ई-एडमिशन के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र में मैनुअल सिस्टम को भी दोबारा लागू किया जाए।

मिड डे मील खाने से हुई बच्चों की मौत एवं अन्य शैक्षिक सवालों को लेकर विरोध मार्च

पटना (बिहार) : शिक्षा के ज्वलंत सवालों को लेकर 25 जुलाई को ऑल इंडिया डी एस ओ की अखिल भारतीय कमिटी के आह्वान पर अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया डी एस ओ की पटना जिला कमिटी की ओर से पटना कॉलेज से छात्र-छात्राओं का विरोध मार्च निकला। मिड डे मील खाने से हुई बच्चों की मौत की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराने, छात्राओं की सुरक्षा की मांग, पास-फेल प्रणाली पुनः लागू करने, सेमेस्टर प्रणाली-आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली वापस लेने, फीस वृद्धि, शिक्षा के निजीकरण-व्यवसायीकरण पर रोक लगाने, निजी विश्वविद्यालय विधेयक वापस लेने के लिए जोरदार आवाज बुलन्द की। छात्र इस दौरान फीस वृद्धि वापस लो, बीपीएससी एवं एसएससी के अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क में वृद्धि वापस लो, मिड डे मील खाने की वजह से बच्चों की मौत की घटना का निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को दृष्टांतमूलक सजा दो, निजी विश्वविद्यालय बिल वापस लो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वापस लो, छात्राओं की सुरक्षा की गारंटी करो जैसे गगनभेदी नारे लगा रहे थे। भगत सिंह चौक पहुंच कर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए छात्र नेता अनिल कुमार ने कहा कि "मशरक में मिड डे मील खाने से हुई 23 बच्चों की मौत तथा अनेक बच्चों के बीमार हो जाने की घटना राज्य सरकार की चरम लापरवाही का नतीजा है। मिड डे मील में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी बच्चों के लिए घटिया किस्म के अनाज की बात मध्याह्न भोजनकर्मियों द्वारा सरकार एवं आला अफसरों के सामने उठायी जाती रही है। मिड डे मील में निगरानी (मॉनिटरिंग) का घोर अभाव तथा पूरे



प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही उक्त दुखद घटना की वजह बनी। बीमार बच्चों को बचाया जा सकता था, यदि समय पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डाक्टर और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहते। घटना की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाकर दोषियों को जनता के सामने लाया जाय और उन्हें दृष्टांतमूलक सजा दी जाय ताकि इस तरह की बेहद पीड़ादायक और लोमहर्षक घटना आगे घटित न हो। आगे बोलते हुए अनिल कुमार ने कहा कि दामिनी का गैंगरेप व हत्या के बाद देश भर में उठे विरोध के स्वर के बावजूद आज छात्राओं व महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी, बलात्कार, हत्या जारी है। केन्द्र सरकार का ही अनुसरण करते हुए तमाम शिक्षा-विरोधी नीतियां मसलन पास-फेल प्रणाली की समाप्ति, पीपीपी नीति, निजी वि.वि. विधेयक, फीस वृद्धि, शिक्षा का निजीकरण-व्यवसायीकरण जारी है। इतिहास ने हमें आंदोलन और आंदोलन के बाद जीत का एहसास दिलाया है। ऐसे में छात्रों के समक्ष गोलबंद होकर मुखर विरोध के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सभा को जिला सचिव सरोज कुमार सुमन सहित निकोलाई शर्मा, राजीव शर्मा, पुष्पा, सुमन लता मोर्या ने भी संबोधित किया। अंत में सात सूत्री मांगों का एक ज्ञापन केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार को महामहिम कुलाधिपति के माध्यम से भेजा गया।

शिक्षा बोर्ड पर प्रदर्शन

भिवानी (हरियाणा) : सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक पास-फेल प्रणाली व बोर्ड की वार्षिक परीक्षा लागू करने, सभी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति करने, आयरन की गोलियां से स्कूली छात्रों के बीमार होने की घटना की जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) की ओर से 25 जुलाई को यहां हरियाणा विद्यालय शिक्षा

बोर्ड पर छात्रों का रोष प्रदर्शन आयोजित किया गया और शिक्षा बोर्ड के सचिव को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। छात्र स्थानीय नेहरू पार्क में एकत्रित हुए और वहां से जोश के साथ नारे लगाते हुए हांसी गेट होते हुए शिक्षा बोर्ड तक गये। प्रदर्शन का नेतृत्व एआईडीएसओ की ऑल इंडिया काउन्सिल सदस्य छात्र नेता कॉमरेड चंचल घोष और प्रदेश सचिव कॉमरेड हरीश कुमार सैनी ने किया।

प्रदर्शनकारी छात्रों को सम्बोधित करते हुए कॉ. हरीश कुमार सैनी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को चाहे कुछ आता हो या नहीं, बेरोकटोक पास करने की सरकार द्वारा लागू की गई नीति सरासर गलत है। इससे छात्र-छात्राओं में शिक्षा के प्रति गम्भीरता खत्म होती जा रही है और प्राइमरी शिक्षा की नींव कमजोर होती जा रही है। पढ़ना छोड़ देने वालों (ड्राप आउट) की संख्या बढ़ रही है और शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इस नीति ने शिक्षा का अधिकार कानून को एक ढकोसला और गरीब व मध्यम परिवारों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश बना दिया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर छात्रों से भद्दा मजाक और उनकी जिन्दगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। सेमेस्टर व ग्रेडिंग प्रणाली थोप कर परीक्षा का मानसिक दबाव बढ़ाया जा रहा है और छात्रों-शिक्षकों को पठन-पाठन का पूरा समय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने स्कूलों में आये दिन नये-नये नियम कानून थोपना बंद करने की मांग की।

प्रदेश सरकार के शिक्षा-विरोधी कदमों की निन्दा करते हुए कॉ. चंचल घोष ने कहा कि आयरन की गोलियां खिलाये जाने से छात्र बहुत बड़ी संख्या में लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं। स्कूलों में गुणवत्ता वाला मिड डे मील नहीं दिया जा रहा जा रहा है। उन्होंने इसे आपराधिक लापरवाही करार देते हुए इसकी पूरी जांच कराने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। शिक्षा पर होने वाले खर्च में लगातार की जा रही कटौती के कारण सरकारी स्कूलों में शिक्षकों, अन्य स्टाफ और आधारभूत सुविधाओं का भारी अभाव बना हुआ है; डेस्क, पुस्तकालयों में पुस्तकें, शौचालय एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी तरह मुहैया नहीं हैं। सरकारी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में स्थायी शिक्षकों को तुरन्त भर्ती करने की भी मांग की। उन्होंने शिक्षा के गिरते स्तर को बचाने, शिक्षा को गरीब, मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के छात्रों की पहुँच में रखने हेतु छात्र आन्दोलन तेज करने का आह्वान किया। 26 से 29 अगस्त 2013 को भोपाल में एआईडीएसओ के अखिल भारतीय सम्मेलन को सफल बनाने की अपील की।

प्रदर्शनकारी छात्रों को संगठन के जिला अध्यक्ष रूपेश यादव, जिला सचिव पवन जांगड़ा, पवन बासिया, उमेश मोर्या, कविता रोहतक, अजय और नवीन तोशाम, पावेल सोनीपत, सुभम, राजेश आदि ने भी सम्बोधित किया। प्रदर्शन में काफी संख्या में छात्रों ने भाग लिया।



उत्तराखण्ड की त्रासदी के प्रसंग में राँची में परिचर्चा



'उत्तराखण्ड की यह त्रासदी क्यों' इस विषय पर 5 जुलाई को झारखण्ड के राँची के सत्यभारती हाल में एक परिचर्चा आयोजित हुई। सभा का आयोजन एसयूसीआई (कम्युनिस्ट), सीपीआई (एमएल), समाजवादी जनपरिषद और जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी द्वारा किया गया। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के राज्य सचिव कॉमरेड रबिन समाजपति सहित अन्य नेताओं ने कहा कि उत्तराखण्ड की यह दुर्घटना केवल प्राकृतिक प्रकोप नहीं थी, इसमें क्षय-क्षति का प्रधान कारण रहा देशी-विदेशी पूँजीपतियों की मुनाफा लूटने की लालसा। उन्होंने कहा कि विकास के

सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड रबिन समाजपति नाम पर यहाँ-वहाँ डायनामाइट विस्फोट, सुरंग निर्माण, व्यापक पैमाने पर पेड़ों का कटान, नदी-झरनों का गतिपथ परिवर्तन, परिवेश का प्रदूषण आदि कारणों से ही इतनी बड़ी संख्या में जान-माल का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग द्वारा पूर्व चेतावनी दिये जाने के बावजूद केन्द्र व राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, त्रासदी हो जाने पर भी राहत, चिह्नित और पुनर्वास का समुचित प्रबंध नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर तुरन्त कदम नहीं उठाये गये तो लोगों पर आने वाले दिनों में इससे भी कई गुनी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा।

चुनाव की प्रक्रिया में लोकतंत्र

(पृष्ठ 4 का शेष)

इसीलिए सबसे बड़ी अदालत या चुनाव आयोग चाहे जो भी कायदे-कानून बना ले उनसे चुनावी प्रक्रिया को असल लोकतांत्रिक बना देना क्या सम्भव है? यहाँ केवल धन या प्रलोभन देना या वायदे करना ही नहीं, बल्कि संवाद और प्रचार माध्यमों की भूमिका को भी अगर असल लोकतांत्रिक मूल्यबोधों के आधार पर संचालित न किया जाए तो स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव होना और उसमें जनमत का असल प्रतिफलन होना सम्भव नहीं है।

सबसे बढ़ कर जिस चीज ने चुनाव के जनतांत्रिक अधिकार को ध्वस्त करके 'लोकतंत्र' शब्द को ही कोरी झांसेबाजी, ढकोसला बना डाला है, उसकी तरफ सबसे बड़ी अदालत या चुनाव आयोग में से किसी का ध्यान नहीं गया है। इस खुली वास्तविकता को वे क्यों नहीं देख पाये यह हैरानी की बात है। वह चीज है लोकतांत्रिक अधिकार पर निरंकुश बाहुबलियों का दबदबा। यह सरकारी प्रशासन और राजसत्ता की प्रत्यक्ष या परोक्ष मिलीभगत और मदद से होता है। पूरे देश के चुनावों में इस माफिया तंत्र की गतिविधियों को नियंत्रित करने या दबाने की कोशिश किसी भी तरह नहीं की जा रही है। दूसरे राज्यों के लम्बे चौड़े इतिहास को छोड़ दिये जाने पर भी पश्चिम बंगाल में चुनाव में बाहुबल के बढ़ते दबदबे से क्या कोई अनभिज्ञ है?

1972 में पश्चिम बंगाल में मतपेटियों को नदी-नालों व सड़कों पर फेंक कर, गट्टे के गट्टे मतपत्र हथिया कर और पुलिस-प्रशासन की मदद से उन पर टप्टे लगा कर कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ हुई थी। किसी भी अदालत ने उसका संज्ञान नहीं लिया। वह मंत्रिमण्डल 'चोरों की विधानसभा का मंत्रिमण्डल' के नाम से मशहूर हुआ था। बात यह नहीं है कि इससे पहले ऐसी घटना नहीं घटी थी, फिर भी इसके बाद से चोरीवृत्ति ही बड़ी-बड़ी पार्टियों और संविधान की भाषा में मान्यताप्राप्त पार्टियों का क्रियाकलाप हो गया है। इसके बाद धीरे-धीरे व्यापक ठप्पामारी वोट, गुप्त मतदान को बंदूक दिखा कर 'खुले मतदान' में रूपान्तरित कर देना और विरोधी

पार्टियों को चुनाव न लड़ने न देना मानो एक स्वाभाविक घटना बन गई हो। इसी का नाम है 'जनतंत्र'। जिस तरह सीपीएम के शासनकाल में पंचायत चुनावों में हजारों उम्मीदवार बिना मुकाबले के ही 'जीतते' थे। इस बार वे गद्दी पर नहीं हैं। इसलिए गद्दी पर बैठे तृणमूल कांग्रेस के हजारों उम्मीदवार बिना किसी मुकाबले के ही जीत गये। पीछे से पुलिस-प्रशासन का प्रत्यक्ष सहयोग था। इसके जरिये जनतंत्र की जब हत्या की जा रही है तो क्या इसकी रोकथाम नहीं होनी चाहिए? चुनावों में धांधली को सीपीएम ने अपने साढ़े तीन दशक के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में जिस निपुण 'कलाकारी' के स्तर तक उन्नत किया था उसके मुकाबले दूसरी-दूसरी पार्टियाँ तो इस मामले में असल में बच्चे हैं। सिर्फ चुनावों के दिनों में ही नहीं, वोट लिस्ट तैयार करने से शुरू करके मतगणना के कौशल तक में सीपीएम ने हर मामले में अपनी कार्यकर्ता वाहिनी और चुनाव कर्मियों को जिस तरह 'शिक्षित' किया था यह निश्चित ही एक गहरी जांच-पड़ताल का मामला है। पुलिस सहित तमाम प्रशासन को जिस तरह उन्होंने इस धिनौने काम में इस्तेमाल किया, इसके स्वरूप का खुलासा होना चाहिए। फिलहाल सरकारी सत्ता गवां कर इस ताकत का इस्तेमाल न कर पाने से वे काफी हद तक हताश हैं। फलस्वरूप चुनाव में सही मायने में स्वच्छता और निष्पक्षता, असल जनमत का प्रतिफलन, लोकतांत्रिक मूल्यबोधों के आधार पर चुनावी संघर्ष में उतरना-यह सब बीते दिनों की बात हो गई है, असल में लगभग विलुप्त ही हो गई है। बुर्जुआ लोकतंत्र के शुरूआती दौर में, पूँजीवाद के विकास के युग में जो लोकतंत्र इतिहास में दिखाई दिया था, वह आज के एकाधिकारी पूँजीवाद के युग में एक झांसेबाजी के रूप में ही कायम है।

इसलिए केवल प्रलोभन देने, घोषणा पत्र में वायदों की भरमार करने के मामले में नियमावली लागू करके, निर्देशिका जारी करके लोकतंत्र को मौत के पंजे से बचाया नहीं जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग की अथोरिटियों को यह समझदारी अगर हासिल हो जाए तभी तो असली तस्वीर को समझने में मदद मिलेगी। क्योंकि अब चुनाव 'मनी-मीडिया-माफिया' से नियंत्रित होता है -इन तीनों के गठजोड़ का आपस में

हत्याओं को गिरफ्तार करने की मांग उठी

मुरादाबाद उ.प्र.) : तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर 11 जुलाई को ऑल इण्डिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीवाईओ) के कार्यकर्ताओं ने कलैक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को सम्बोधित एक ज्ञापन एसीएम द्वितीय को सौंप कर हत्याओं को शीघ्र गिरफ्तार करने, टीएमयू परिसर में चल रहे नशिले पदार्थों के कारोबार की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की।

इससे पहले प्रदर्शनकारी मण्डलायुक्त कार्यालय पर एकत्रित हुए और जुलूस निकालकर कलैक्ट्रेट पर पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारी अपने हाथों में मांग पट्टिकाएं उठाये हुए थे और पीड़ित परिवार को दस करोड़ मुआवजा दो, छात्रा के हत्याओं को तुरन्त गिरफ्तार करो, छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करो आदि नारे लगा रहे थे। कलैक्ट्रेट पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने मेडिकल छात्रा नीरज की हत्या के मामले में टीएमयू के कुलाधिपति के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि टीएमयू प्रशासन की मिलीभगत से ही छात्रा की हत्या की गई है। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरकिशोर सिंह ने कहा कि टीएमयू में एक होनहार छात्रा का कत्ल कर दिया जाना मुरादाबाद प्रशासन के माथे पर कलंक है। उन्होंने हत्याओं को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की और इस मांग को पूरी करवाने के लिए जोरदार जनवादी आन्दोलन गठित करने की आम लोगों से अपील की। ज्ञापन देने वालों में मोहम्मद यामीन, रुबीना खान, उपासना राजपूत, प्रदीप आहलुवालिया, नासिर अली, लिपि सिंह, फैज खान, नवाब अली व विनोद विंग आदि शामिल थे।

तालमेल है। नई निर्देशिका जारी करने से पहले इस गठजोड़ को तोड़ने की निर्देशिका क्या वे जारी कर सकेंगे? मूल समाधान तो इसी में निहित है।

अंत में जनता को हम इस बात पर विचार करने को कहेंगे कि यह पूँजीवादी समाज हमें और कुछ नया सुन्दर दे सकता है कि नहीं। लोकतांत्रिक चेतना, मूल्यबोध सामाजिक जीवन से लगभग निशेषित हो चुके हैं। इसके रोम-रोम में भ्रष्टाचार घर कर चुका है। सांस्कृतिक अधःपतन की असहनीय पीड़ा देश के सुबुद्धिसम्पन्न लोगों को साल रही है। सरकार के मंत्रीगण बड़े-बड़े आर्थिक घोटालों में लिप्त हैं। प्रशासन के हर स्तर पर इसकी छाप है। हाल ही में देखा गया कि कोयला घोटाले की तफतीश में जो नियुक्त थे वे सीबीआई अफसर ही घूस लेते पकड़े गये। न्याय व्यवस्था भी इस दलदल से मुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज किस तरह प्रलोभन के साथ जुड़े हुए हैं इसे एक प्रख्यात वकील शशिभूषण ने सामने लाकर हलचल मचा दी थी, इसके बाद सब कुछ दबा दिया गया। (देखिये : गणदाबी 7-13 जनवरी, 2011)

असल में यह पूँजीवादी समाज ही तमाम शोषण, जुल्म, भ्रष्टाचार, अराजकता का उद्गम स्थल है। पूँजीपति वर्ग के इस शासन का अंत किये बिना असल में भ्रष्टाचार को मिटाना असम्भव है। मालिक वर्ग अपने खुद के मुनाफे के स्वार्थ में इस सड़े-गले समाज को कायम रखना चाहता है। इसलिए वह इन तमाम राजनैतिक पार्टियों को सरकारी सत्ता में रखना चाहता है जो उनके स्वार्थ की रक्षा करेंगी। उनकी यह कोशिश है कि इस समाज को बदलने के पक्ष में जनमत किसी भी तरह तैयार न हो सके और अगर जनमत तैयार हरे भी जाए तो जैसे भी हो शासक वर्ग उसका दमन करना चाहता है। इसलिए 'मनी-मीडिया-माफिया' की मदद से चुनाव इस समाज की अवश्यंभावी परिणति है। कोई इस कानून बना कर या कोई भी निर्देशिका जारी करके क्या इस समस्या का समाधान सम्भव है? इस पर समग्र रूप से विचार करना होगा। समग्र रूप से ही इस समाज को बदलने के आन्दोलन को मजबूत करने का दायित्वबोध ही एक नये मूल्यबोध को लाएगा। तभी असल लोकतांत्रिक चिन्तन-भावना-संस्कृति परवान चढ़ेगी। ●●●

गुजरात में एम एस विश्वविद्यालय में एआईडीएसओ के आह्वान पर पूर्ण छात्र हड़ताल



100 प्रतिशत से भी ज्यादा फीस वृद्धि के खिलाफ गुजरात के बड़ोदरा में एम एस विश्वविद्यालय में 18 जुलाई को एआईडीएसओ के आह्वान पर पूर्ण छात्र हड़ताल हुई। हड़ताल को विफल करने के लिए कुलाधिपति ने 200 पुलिसकर्मियों, 9 सब इन्सपेक्टरों, 3 इन्सपेक्टरों को तैनात करवाया। बीजेपी की छात्र शाखा एबीवीपी और कांग्रेस की एनएसयूआई ने क्लास-क्लास में, होस्टल के कमरे-कमरे में जाकर हड़ताल के खिलाफ प्रचार किया। शिक्षकों के एक हिस्से ने छात्रों को धमकी दी कि हड़ताल के दिन अगर क्लास में नहीं आये तो इंटरनल मार्किंग और ग्रेड कम कर दी जाएगी।

इन सब रुकावटों की परवाह न करते हुए विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने हड़ताल सफल की। कला, वाणिज्य और एज्युकेशन फैकल्टी में पूर्ण छात्र हड़ताल हुई। विज्ञान विभाग के कुछ छात्रों को दलाल यूनियनों के छात्र नेताओं ने जबरन क्लास में भेजने की कोशिश की। धरना दे रहे एआईडीएसओ के 8 नेता-कार्यकर्ता पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये। इस हड़ताल ने दिखा दिया कि अथोरिटियों की तरफ से शिक्षा-विरोधी कोई भी कदम छात्र समाज चुपचाप सहन नहीं कर लेगा और जुझारू छात्र संगठन एआईडीएसओ के प्रति छात्र-छात्राओं का समर्थन और आस्था कितनी प्रबल और तहेदिल से है।

डान्स बारों बाबत सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की आलोचना

एआईएमएसएस की अखिल भारतीय कमेटी की महासचिव डा. एच.जी. जयलक्ष्मी ने डान्स बारों बाबत सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की आलोचना करते हुए 21 जुलाई को जारी एक प्रेस बयान में कहा :

“2005 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसमें बारों और तीन सितारा से कम दर्जे वाले रेस्तरां-होटलों में बार बालाओं द्वारा किये जाने वाले डान्स को प्रतिबन्धित कर दिया गया था। इस आदेश को बाम्बे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में दलील दी जा रही है कि 75,000 महिलाएं जो बार गल्स के तौर पर काम कर रही थीं और 1.5 लाख से ज्यादा दूसरे जो इन बारों पर निर्भर थे उन्हें अपना रोजगार वापस मिल जाएगा।

एआईएमएसएस का दृढ़ मत है कि डान्स गल्स व अन्य जो इन बारों में काम कर रहे थे, उन सभी को सरकार द्वारा वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराया जाना चाहिए। बारों में ऐसा रोजगार महिलाओं की गरिमा पर ही चोट है और सामाजिक-सांस्कृतिक माहौल को दूषित करता है। यह कहने की कोई खास जरूरत नहीं है कि यह केवल महिलाओं पर बढ़ते अपराधों में ही सहायक हो रहा है।

सामाजिक उत्पादन में अपनी सकारात्मक भूमिका के माध्यम से महिलाओं ने खुद को उदाहरणमूलक रूप से सिद्ध किया है और हमारी सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें शिक्षा और रोजगार मुहैया कराये जो सामाजिक प्रगति में सहायक हैं। एआईएमएसएस सुप्रीम कोर्ट से डान्स बारों पर अपने फैसले को पलटने का आग्रह करती है और सरकार से मांग करती है कि डान्स गल्स और दूसरे जो बारों में काम करते थे उन्हें वैकल्पिक मर्यादित रोजगार उपलब्ध कराया जाए। एआईएमएसएस समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों का आह्वान करती है कि वे आगे आये और शिक्षा, रोजगार और सही मायने में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकारों को मजबूर कर देने के लिए एक जोरदार आन्दोलन गठित करें।”

जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं पर सम्मेलन

कानपुर, उ.प्र. : जन-प्रतिरोध आन्दोलन समिति की कानपुर जिला इकाई द्वारा जिला स्तरीय सम्मेलन 14 जुलाई 2013 को गणेश शंकर विद्याधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय के एल टी-श्री सभागार में आयोजित किया गया। सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों से आये लगभग एक सौ लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एच.बी.टी.आई. के एसोसिएट प्राफेसर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देश पर आम जनता की समस्याओं से सम्बन्धित प्रस्ताव चर्चा के लिए रखा गया। प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए अवकाश प्राप्त असिस्टेंट प्रोविडेन्ट फण्ड

भूमिहीन किसानों के पट्टे की मांग पर ओडिशा के कर्नाड में हरिचंदनपुर तहसील में 15 जुलाई को एसयूसीआई(सी) औ एआईकेकेएमएस के नेतृत्व में विश्व प्रदर्शन।



कमिश्नर श्री आर.एस. राम, मजदूर-कर्मचारी नेता श्री गंगाप्रसाद यादव, अवकाशप्राप्त विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग एच.बी.टी.आई. कानपुर के श्री एच.एस. निरंजन, अखिल भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के श्री क्रान्तिकुमार कटियार, आल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन के राज्य कमेटी सदस्य श्री पुष्पेन्द्र विश्वकर्मा, जनप्रतिरोध आन्दोलन समिति, उ.प्र. के राज्य कमेटी सदस्य श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी द्वारा एक स्वर से बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार, कुकृत्यों-अपराधों के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि कर्मचारियों, मजदूरों, किसानों एवं छोटे-छोटे व्यापारियों, उद्यमियों द्वारा रात-दिन मेहनत कर अर्जित की जाने वाली आय लगातार कम होती जा रही है तथा उनके लिये जरूरी शिक्षा, चिकित्सा, आवास के लगातार महंगे होते जाने से सभी जरूरी चीजें उनकी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। आजादी के 66 वर्ष बीतते-बीतते देश की दो-तिहाई आबादी भिखारियों जैसा जीवन जीने को मजबूर हो गई है। सभा को आंगनबाड़ी यूनियन लीडर श्रीमती मनोरमा सचान, ट्रेड यूनियन लीडर श्री मान सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता श्री अरविन्द अवस्थी, डा. रामगोविन्द यादव, विनोदकुमार गौतम, रामबहादुर सिंह, रामदयाल शर्मा, बी.एल. चौधरी द्वारा भी सम्बोधित किया गया। सभा अध्यक्ष श्री ब्रजेश सिंह द्वारा सभा को सम्बोधित करते हुये कहा गया कि आजादी के बाद से ही विभिन्न राजनैतिक पार्टियों द्वारा आम जनता के साथ

छलावा ही किया गया है। संसदीय राजनीति करने वाली पार्टियों द्वारा बनाई गई नीतियों के परिणामस्वरूप ही एक तरफ देश के चन्द औद्योगिक घरानों/पूंजीपतियों के पास सम्पदा का अन्वार लग गया है जिसके बल पर अब वे देश-विदेश में आम जनता का शोषण-उत्पीड़न करते जा रहे हैं। वहीं देश की 90 प्रतिशत आम मेहनतकश जनता भुखमरी की कगार पर ढकेल दी गई है। जो आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि जैसी बुनियादी जरूरतों के लिये तरस रही है। उन्होंने आगे कहा कि आम जनता को चुनावी भूल-भुलैया से निकल कर जन आन्दोलन का सहारा लेना होगा इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। अन्त में उन्होंने आशा व्यक्त करते हुये कहा कि वह दिन दूर नहीं जब कानपुर की जनता कोने-कोने से उठ कर तूफान खड़ा कर देगी, जिसमें बड़े से बड़े अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, शोषक तिनके की तरह उड़ जायेंगे।

सभा की समाप्ति से पूर्व जन-प्रतिरोध आन्दोलन समिति, उ.प्र. राज्य कमेटी सदस्य श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी द्वारा एक 16 सदस्यीय कानपुर जिला कमेटी सभा द्वारा सर्वसम्मति से गठित की गई जिसके अध्यक्ष-ब्रजेश सिंह, सलाहकार परिषद- एड. जयपाल सिंह सेंगर, एच. एस. निरंजन, एड. सी.एल. आजाद, उपाध्यक्ष-आर.एस. राम, गंगाप्रसाद यादव, डा. जोगेन्द्र सिंह, डा. धर्मराज सिंह, सचिव- अरविन्द अवस्थी, सचिवमण्डल-रवीन्द्रनाथ कटियार, मि. सईदउद्दीन सिद्दीकी, श्रीमती मनोरमा सचान, मान सिंह, श्रीमती अल्पना त्रिवेदी, श्रीमती शारिका श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष- क्रान्तिकुमार कटियार।